अनवान— एलमा वगैरा बनाम मोहम्मद रफी वगैरा
प्रकरण संख्या 158 / 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन संख्या—158 / 2023
पीठासीन अधिकारी— बद्रीनारायण, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
प्रार्थी—

1. एलमा पुत्री मोहमदअली
2. छूटां पुत्री मोहमदअली
3. नूरां पुत्री मोहमदअली
4. बेगम पुत्री मोहमदअली
5. अमीनत पुत्री मोहमदअली
6. इमामत पत्नी मोमदअली
7. लतीफ पुत्र मियल
   जातियान मुसलमान निवासीगण सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण—

1. मोहम्मद रफी पुत्र सुल्तान खान
2. मीर मोहमद पुत्र सुल्तान खान
3. कुरानी पुत्री दोसमोहमद
   जातियान मुसलमान निवासीगण सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
4. तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण— प्रार्थीगण वकील— श्री मोहनलाल खिलेरी।
विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील— श्री दोषमोहम्मद।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 18.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ''प्रार्थीगण का खातेदारी खेत सरहद सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू अभिलेख निरीक्षक सेड़वा तहसील [illegible] खसरा संख्या 491 / 123 रकबा 17—9275 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया [illegible] है। प्रार्थीगण के पिता मोहमद अली एवं प्रार्थी संख्या 7 ने दोस्त मोहमद [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

भूमि दिनांक 08.01.1975 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थीनीगण संख्या 1 से 6 के वालिद स्व. मोहमदअली व प्रार्थी संख्या 7 के नाम से नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 13.04.1975 को पारित किया गया तथा विक्रयपत्र में वर्णित पाड़ौसान के अनुसार नामान्तरकरण के पुश्त पर नक्शा अंकित किया गया। प्रार्थी के सेढे पर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का खेत खसरा संख्या 490/123 क्षेत्रफल 6–4750 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आया हुआ है। प्रार्थी एंव विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि के पूर्व खातेदार दोस्तमोहमद के मध्य तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मनमर्जी से मौके पर पक्षकारान के कब्जा–काश्त अनुसार तरमीम न करके गलत तौर पर तरमीम करवा दी तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का मौके पर कब्जा नक्शे में की गई तरमीम से विपरीत है। उक्त गलत तरमीम की आड़ में विप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीनीगण के कब्जेशुदा ढाणियां पर अवैध आधिपत्य करने पर उतारू है। नक्शा ट्रेस में प्रार्थीनीगण के कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम नहीं की जाकर आड़ी–तिरछी गलत तरमीम की गई है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को धोखे में रखकर राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके एकतरफा तरमीम करवा दी एवं विप्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व खातेदारी की जमीन को खुर्द–बुर्द करने एवं अतिक्रमण करने पर उतारू है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थी के खातेदारी खेत पर अतिक्रमण करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भविष्य में नकदी में क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला आवेदन प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्ध विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू अभिलेख निरीक्षक सेड़वा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 491/123 क्षेत्रफल 17.9275 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी के खेत खसरा 490/123 क्षेत्रफल 6.4750 किस्म बारानी सोयम भूमि में खेत की रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में किसी प्रकार की रद्दोबदल नहीं करें तथा न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी करें।''

प्रार्थीगण वकील द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 158/2023 अनवान एलमा वगैरा बनाम मोहम्मद रफी वगैरा में दिनांक 13.06.2023 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश द्वारा मौजा मौजा सेड़वा 491/123 रकबा 17.9275 हैक्टेयर व खसरा संख्या 490/123 रकबा 6.4750 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया।

विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 आर.एल.[illegible] मिथ्याशा का पदवार जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण [illegible] उक्त भूमि खरीदने से पूर्व विक्रेता दोस्त मोहम्मद द्वारा अपनी [illegible] सेड़वा के खसरा संख्या 123 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

तरमीम करवाकर नया खसरा संख्या 491/123 रकबा 17.9275 हैक्टेयर का बेचान प्रार्थीगण के पिता मोहम्मद अली तथा प्रार्थीगण संख्या 7 को बेचान कर तरमीम सुदा नया खसरा संख्या 491/123 का कब्जा करवा दिया था। मूल खसरा संख्या 123 की शेष बची भूमि दोस्त मोहम्मद के नाम खसरा संख्या 490/123 दर्ज हुई। दोस्त मोहम्मद फौत होने पर उक्त भूमि उनके वारिसान हकीमा पत्नी दोस्त मोहम्मद का 4/5 हिस्सा तथा कुरानी पुत्री दोस्त मोहम्मद का 1/5 हिस्सा के रूप में नाम दर्ज हुई। हकीमा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान खसरा संख्या 490/123 रकबा 6.4750 हैक्टेयर (40 बीघा) में से 4/5 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि 5.1800 हैक्टेयर(32 बीघा) का अपनी पुत्री के पुत्र निजामुदीन पुत्र उमानुला के पक्ष में दिनांक 10.05.2022 को जरिए रजिस्ट्री दान की। उक्त भूमि को निजामुदीन ने खसरा संख्या 490/123 रकबा 6.4750 हैक्टेयर (40बीघा) में से 4/5 हिस्सा का 1/2 हिस्सा (यानि सम्पूर्ण रकबा का 4/10 हिस्सा) 2.5900 हैक्टेयर का(16 बीघा) का भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 1 मोहम्मद रफी पुत्र सुल्तान को दिनांक 07.11.2022 को जरिए रजिस्ट्री बेचान किया गया तथा निजामुदीन की शेष बची भूमि का बेचान मीर मोहम्मद पुत्र सुल्तान को खसरा संख्या 490/123 रकबा 6.4750 हैक्टेयर(40 बीघा) में से 4/5 हिस्सा का 1/2 हिस्सा (यानि सम्पूर्ण रकबा का 4/10 हिस्सा) 2.5900 हैक्टेयर का(16 बीघा) का भूमि का बेचान किया गया इसी प्रकार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के जमीन खरीदने से पूर्व ही भूमि का तरमीम(बंटवाड़ा) हो चुका था। तरमीम में प्रार्थीगण का कोई हक हकूक आराजी में नहीं होने के कारण राजस्व आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पूर्व खातेदार दोस्त मोहम्मद ने कब्जे काश्त अनुसार तरमीम करवाकर बेचान की थी, जिसमें मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तथा खसरा संख्या 490/123 रकबा 6.4750 किस्म बारानी सोयम जो विप्रार्थीगण क कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड अनुसार सही हैं। प्रार्थीगण का खसरा पूर्व में विभाजन होकर अलग हो चुका है जिस पर विप्रार्थीगण कोई कब्जा काश्त नहीं हैं जिस पर विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 490/123 रकबा 6.4750 हैक्टेयर पूर्व में विभाजन द्वारा अलग है तथा वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त व रेकर्ड में तरमीम नक्शा अनुसार सही है जिस पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जिसमें उक्त खसरे में प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है व इस कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्व आवेदन संख्या 158/2023 मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने विशेष आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने पूर्व में पारित आदेशों में यह अवधारित किया जा चुका है कि एक खातेदार के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में [illegible] जो सहखातेदार नही हैं उनके विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी खातेदार किसी काश्तकार के विरूद्ध एक तरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त खसरान प्रार्थीगण कई वर्षों से अलग–अलग खातेदारी दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त तथा विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 490/123 रकबा 6.4750 हक्टेयर पूर्व में विभाजित खरीद सुदा खसरा है जो पूर्व में विक्रेता द्वारा विभाजित तरमीम सुदा विप्रार्थीगण को कब्जा सुपूर्द किया था जो आज तक विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है जिसके चारों ओर तारबन्दी की हुई है तथा रहवासीय ढाणियां टांके व पशुबाड़े बने हुए है कि प्रार्थीगण द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण के हक हकूकों पर कुठाराघात किया हैं। इसी स्थिति से विधि विरूद्ध स्थगन आदेश चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 81 के तहत मनगढंत तथ्यों के आधार पर तथा विप्रार्थीगण की नेखमबंदी रूकवाने के आशय से पेश किया है, जो विधि विरूद्ध है। मय खर्चा खारिज किए जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेकसंगत अध्ययन, अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथा संलग्न दस्तावेजात् पर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के संबंध में प्रस्तुत पदवार जवाब मय आपतियों में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत हस्तगत प्रकरण में सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब को स्वीकार किया जाता है।

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 158/2023 में दिनांक 13.06.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के शामिल संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मेड़वा

18/02/2025

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:49:52 IST
Reason: SelfAttested